

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./6001

दुर्ग, दिनांक 01/09/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non_forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Bharat Net phase II Rajnandgaon Division "Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 & 85 blocks through optic fibre cabre laying of approximately 32466 KM. This laying of optical fiber cable of 32466 KM will involve 26 Districts across the state," Area-13.524 ha. Regarding. पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42688/2019.

संदर्भ :-

1) आपका कार्या. पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-825/3175 दिनांक 4.12.2019.

2) व.स.अ. राजनांदगांव का पत्र क्र./तक.अधि./2020/1383 दिनांक 20.8.2020.

▲ ▲ ▲

विषयांतर्गत निवेदन है कि, प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु राजनांदगांव जिला के राजनांदगांव वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अंबागढ़-चौकी, छुरिया, डोंगरगांव एवं मोहला ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि 13.038 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.486 हे. कुल रकबा 13.524 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्ताव वनमण्डल कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव चेक लिस्ट 01 से 21 बिन्दुओं की जानकारी सहित प्रेषित किया है।

अतः वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के एवं भाग-3 मूलतः 03 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सन्प्रेषित है।

संलग्न :- 1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (03 प्रतियों में)

3. टाईम लाईन

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 01/09/2020

पू.क्रमांक/तक.अधि./6002

प्रतिलिपि :-

- 1.) वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2.) JCEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHIPS, 2nd floor, SDC Building, Civil Line, Raipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

de

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 01/09/2020

चेकलिस्ट क्र. — 11

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—III

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक—FP/CG/OFC/42688/2019

1. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां /नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। :- “नहीं”
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। :- “सहमत है”
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना “भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II” के अन्तर्गत राजनांदगांव वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 13.524 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 01-09-2020

स्थान:

321

शांतिनी रैना (भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वन वृत्त दुर्ग (छ.ग.)
(शांतिनी रैना) ज.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (दे.)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छपीसगढ़)